रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

Received from GOI Press on 7/9/95

H.C. (G.D. Lay)

12—12358

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 850
Deptt 500
K.M. 30
C.P.B. 320

सं. 312] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 20 जुलाई, 1995/आषाढ़ 29, 1917
No. 312] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1995/ASADHA 29, 1917

COMPLETED

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1995

सा. का. नि. 556 (अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी नियम, 1985 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में

(1) नियम 55 में उपनियम (1) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) नियम 53 के अधीन रहते हुए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 5 में जारी किए गए प्रेषण की बाबत किसी निर्यात प्रमाणपत्र के बिना भारत में आयात नहीं किया जाएगा।

(ii) नियम 57, नियम, 60 और नियम 61 में 'अनुसूची 2' शब्द और अंक के स्थान पर 'अधिनियम की अनुसूची' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) नियम 58 में,—

(क) उपनियम (1) में संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"नियम 53 और नियम 53क के अधीन रहते हुए, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी स्वापक औषधि का मनःप्रभावी पदार्थ का जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 5 में जारी किए गए प्रेषण की बाबत निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना भारत से बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा।"

(ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

(ग) उपनियम (4) को उपनियम (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।'

(iv) इन नियमों में अनुसूची 1 के पश्चात् आने वाली अनुसूची 2 और अनुसूची 3 का लोप किया जाएगा। "अनुसूची 4" को "अनुसूची 2" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication

(v) नियम 53क में अनुसूची 4 शब्द और अंक के स्थान पर अनुसूची 2 शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(vi) इन नियमों की अनुसूचियों के पश्चात् आने वाले प्रारूप सं. 6 का लोप किया जाएगा।

(vii) इन नियमों के प्रारूप 7 को प्रारूप सं. 6 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और नियमों में प्रारूप सं. 7 के प्रति किए गए किसी निर्देश को प्रारूप सं. 6 के रूप में पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. III/47/93-एन. सी. बी. (विधिक)]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम दिनांक 14 नवंबर, 1985 को सा. का. नि. 837 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में का. आ. 786 (अ) दिनांक, 26-10-92, का. आ. 599 (अ) दिनांक 10-8-93, सा. का. नि. 748 (अ) दिनांक 14-12-1993, सा. का. नि. 543 दिनांक 24-10-94 तथा सा. का. नि. 52 दिनांक 14-2-95 के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NARCOTICS CONTROL BUREAU

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1995

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76, of the Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 (6 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendment to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985,—

(i) In rule 55, for the entries relating to sub-rule (i) the following shall be substituted, namely —

(i) Subject to rule 53, no narcotic drug, or psychotropic substance specified in the Schedule of the Act shall be imported into India without an import certificate in respect of consignment issued by the issuing authority in Form No. 4 appended to these rules."

(ii) In rule 57, rule 60 and rule 61 for the word and figure "Schedule II" the words "Schedule of the Act" shall be substituted.

(iii) In rule 58 :—

(a) for the entries relating to sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"Subject to rule 53 and rule 53A, no narcotic drug, or psychotropic substance specified in the schedule of the Act, shall be exported out of India without an export authorization in respect of the consignment issued by the issuing authority in Form No. 5 appended to these rules."

(b) sub-rule (3) shall be deleted.

(c) sub-rule (4) shall be renumbered as sub rule (3).

(iv) Schedule II and III appearing after Schedule I in these Rules shall be delete

"Schedule IV" shall be re-numbered as "Schedule II

(v) In rule 53A, for the word and figu "Schedule IV", the word and figure "Schedule II" shall be substituted.

(vi) Form No. 6 appearing after the schedule of these rules shall be deleted.

(vii) Form No. 7 of these rules shall be renumbered as Form No. 6 and any referen in the rules to the Form No. 7 shall read as Form No. 6.

[F. No. III/47/93-NCB (Lega

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Se

NOTE : The principal rules were published v GSR 837(E) dated 14th November, 19 and subsequently amended vide S.O. 785 dated 26-10-1992, S.O. 599(E) da 10-08-1993, GSR 748(E) dated 14-12 GSR 543 dated 24-10-1994 and GSR dated 14-02-1995.

Attested.

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995